न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 07/2019

सुखविन्द्र सिंह बनाम विचित्र सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री इन्द्रजीत सिंह बिश्नोई अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता — अप्रार्थी 1 व 3

–:: आदेश ::– दिनांक :– 16.03.2021

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 151 सी. पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा में वादी द्वारा करनैल सिंह पुत्र शोभा सिंह को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया है जबकि इसका देहान्त अरसा करीब 25 वर्ष पूर्व ही हो गया है। इसी प्रकार से वादी ने होशियार सिंह पुत्र शोभा सिंह को प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में दर्ज किया है जबकि इसका देहांत करीब 23 साल पूर्व हो गया है, इन हालात में मृतक व्यक्तियों के खिलाफ दावा पेश किया गया है, कानूनन किसी मृतक व्यक्तियों के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता, अतः वादी का मौजूदा वाद इसी आधार पर व इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त –|Clition: 2017 DNJ (SC) 415|; 2016 RBJ 625, 2019 RBJ 767, 2015 DNJ (SC) 592 पेश किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश नहीं कर बहस प्रार्थना पत्र समाप्त करने का निवेदन करने पर जवाब अप्रार्थी/वादी बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के कथनों को दोहराते हुए मुख्य बहस यह रही कि प्रतिवादी संख्या 6 का देहान्त अरसा करीब 25 वर्ष पूर्व और प्रतिवादी संख्या 7 का देहांत करीब 23 साल पूर्व हो गया है। इन हालात में मृतक व्यक्तियों के खिलाफ दावा पेश किया गया है, कानूनन किसी मृतक व्यक्तियों के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता। अतः वादी का इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किए कि हस्तगत वाद तलबी में है, मृतक से किसी प्रकार का रिलीफ नहीं चाहा गया है। गुलाब सिंह के पिता के नाम जमीन अलॉट हुई थी। वाद सिर्फ गुलाबसिंह के हिस्से तक पेश किया गया है। गुलाब सिंह को भूमि पैतृक प्राप्त हुई है। सनद तीनों के नाम बनी अतः वाद में पक्षकार बनाया गया है। अंतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी 7 का देहान्त वाद संस्थित करने से पूर्व हो चुका था। वादी द्वारा वाद मृतक व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है। विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार किसी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त –|Clition: 2017 DNJ (SC) 415|; 2016 RBJ 625, 2019 RBJ 767, 2015 DNJ (SC) 592 के आलोकमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरी नम्बर से कम होकर वाद तकनीकी जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

आदेश दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर